क्रम सं0 तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
5.23	अभिलेख उपस्थापित। अनीता देवी पति अजय राम, निवास स्थान ग्राम–नवादा, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–कटकमदाग, मौजा–खपरियावाँ, थाना नं0–119, खाता संख्या–490, प्लॉट संख्या–1245, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि अंकित कुमार पिता बिनोद ठाकुर, निवास स्थान ग्राम–बेलाही, थाना–चौपारण, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22038083 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-34/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 149/रा0 दिनांक 17.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, कटकमदाग के पत्रांक 384/अं0 दिनांक 05.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार – विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। मौजा–खपरियावाँ के अन्तर्गत खाता संख्यसा–490, प्लॉट संख्या–1245, रकवा–0.08 एकड़ भूमि की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या-103/VII पर दर्ज है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत झरी तेली हैं। खतियान अनुसार धारित कुल रकवा 6.84 एकड़ भूमि है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.08 एकड़ भूमि है। वर्ष 2019–20 तक लगान रसीद निर्गत् है। आवेदिका स्वयं जमाबंदीदार हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.08 एकड़ भूमि है। मौजा–नवादा, खाता संख्या–87 प्लॉट संख्या–380, रकवा 59डी0 भूमि विक्रेता के पूर्वज के नाम से दर्ज है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।	

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग के अनुशंसा के आलोक में अनीता देवी पति अजय राम, निवास स्थान ग्राम-नवादा, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-खपरियावाँ, थाना नं0-119, खाता संख्या-490, प्लॉट संख्या-1245, रकबा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि अंकित कुमार पिता बिनोद ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-बेलाही, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.04.15 16:15:05 +05:30
Location: 192.168.0.107